

## महत्वपूर्ण सूचना

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना

श्री साँई तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी, जवाहरलाल नेहरु मार्ग (बिली रोड),

पटना-801503

(वेबसाइट-[www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in))

विज्ञापन संख्या 01/2018 के अंतर्गत बिहार पुलिस एवं बिहार अग्निशमन सेवा में क्रमशः चालक सिपाही एवं अग्नि चालक के पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2018 में चालक सिपाही पद की 1669 रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20.02.2018 को विज्ञापन संख्या 01/2018 राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में तथा पर्वद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

2. प्रकाशित विज्ञापन एवं “बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017” में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार पुलिस एवं अग्निशमन सेवाएँ में चालक सिपाही एवं अग्नि चालक की सीधी नियुक्ति हेतु संयुक्त रूप से लिखित परीक्षा दिनांक-10.06.2018 (रविवार) को एक (01) पाली में आयोजित की गयी। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात (1:5) में अगले चरण “शारीरिक दक्षता परीक्षा” के लिए चयनित कर परीक्षाफल दिनांक 20.08.2018 को पर्वद के वेबसाइट पर तथा बिहार के दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया।


3. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 07.10.2018 से शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना-800002 में आयोजित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक- 17.09.2018 को अपराह्न 12:00 बजे से पर्वद की वेबसाइट [www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in) से “Bihar Police” की टैब पर जा कर “Download e-Admit Card for PET of Bihar Police Driver Constable & Fireman Driver of Bihar Fire Services” पर क्लिक कर Download किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई-प्रवेश-पत्र Download नहीं कर सकें वे दिनांक- 03 अक्टूबर, 2018 एवं 04 अक्टूबर, 2018 को केन्द्रीय चयन पर्वद के बैंक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना- 800001 स्थित पर्वद कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक अपना डुप्लिकेट प्रवेश-पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

4. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) हेतु निर्धारित समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र पर दर्ज है।

5. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश-पत्र तथा अपने आवेदन-पत्र की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे :

- i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र (जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) ।
  - ii. विज्ञापन की तिथि 21.02.2018 से कम से कम एक (01) वर्ष पूर्व अर्थात् (21.02.2017 या इसके पूर्व का निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV)/भारी मोटर वाहन (HMV) की अनुज्ञप्ति।
  - iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र (01.01.2018 से पूर्व शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी)।
  - iv. जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)।
  - v. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा।
  - vi. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) । क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पिता के नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा।
  - vii. बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)।
  - viii. बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-11687/सा0प्र0, दिनांक-30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत) ।
7. सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या-01/2018 में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों को संपुष्ट करना अनिवार्य होगा ।
8. किसी भी विवाद में अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
9. प्रेस में मुद्रण अथवा टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा ।
10. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें ।

  
15.09.18  
अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),  
बिहार, पटना

**ज्ञापांक 17 /के0च0प0(सू0)**

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

श्री साई तारा कॉम्प्लेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 801503

दिनांक-15/09/2018